Welcome

Topic : Protection Available to Judges

Dated : 12-03-2024 To 16-03-2024

By

Akhilesh Kumar Pandey
Addl. C.J.M. HLD

Introduction

- भारत विधि के शासन में विश्वास करने वाला देश है। विधि शासन के सिद्वान्त और जनतंत्र का आधार योग्य, निष्पक्ष तथा निर्भीक न्यायपालिका है।
- इसके लिए ऐसे न्यायपाधीशों का होना अनिवार्य है जो विद्धता, निर्भीकता तथा निष्पक्षता के गुणो से सम्पन्न हो।
- भारत का संविधान में संघ और राज्यों में न्यायपालिका के संगठन तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके निर्भीकता तथा निष्पक्षता के गुणो के संरक्षण और उन्नयन के लिए सर्तकतापूर्ण उपबंध किये गये है।

Concept of Protection of Judges

- भारत का संविधान और विधि व्यवस्था में दो वर्ग के न्यायालयों की संकल्पना की गयी है।
- उच्चतर न्यायपालिका : इसके अन्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते है। इनके नियुक्ति, वेतन भत्ते आदि के बारे में विशिष्ट उपबंध भारत का संविधान में किये गये है।
- अधीनस्थ न्यायपालिका : इसके अन्तर्गत जिला न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीश आते है। सामान्यतया दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 6 एवं वर्तमान में 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 6 में दाण्डिक न्यायालयों के वर्ग का उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त बंगााल, आसाम, आगरा सिविल कोर्ट अधिनियम 1887 की धारा 3 में सिविल न्यायालयों के वर्ग का उपबंध किया गया है।

Law Relating to Protection of Judges

- Articles 309,310 & 311 of the Constitution of India
- The Judicial Officers Protection Act, 1850
- The Judges (Protection) Act, 1985
- Section 197 Cr.P.C
- Contempt of Courts Act, 1971
- G.Os. & Government Notifications
- I.P.C. 1860 Section 77 : Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 Section 15
- Uttarakhand Judicial Service Rules 2005

Case Law Relating to Protection of Judges

- Delhi Judicial Service Associal, Tis Hazari Courts, Delhi Vs. State of Gujarat & Others, AIR 1991 SC 2176.
- U.P. Judicial Officer's Association Vs. Union of India, (1994) 4 SSC 687 : Chief Justice's prior permission mandatory for FIR
- All India Judge's Association Vs. Union of India & Others, AIR 1993 SC 2493.
- Khanapuram Gandaiah Vs. Administrative Officer, (2010) 2 SSC 1 (Paras 11 & 13)= AIR 2010 SCC 615.
- Anowar Hussain Vs. Ajoy Kumar Mukhererje, AIR 1965 SC 1651

Continue Next Slide.....

Case Law Relating to Protection of Judges

- **Nirmala J. Jhala Vs. State of Gujarat, AIR 2013 SC 1513** held that Article 235 of the Constitution confers supervisory jurisdiction on High Courts over sub-ordinate judiciary. A duty is also cast on the High Court to protect the honest Judicial Officers as that is paramount for survival of judicial system.
- Jogendrasinhji Vijaysinghji Vs. State of Gujarat, (2015) 9 SCC 1.
- Hussain Vs. Union of India AIR 2017, SC 1362 : Judicial Service are not like any other service.
- Pepsi Foods Ltd. Vs. Special J.M. (1998) 5 SSC 749

Relevent Circular Order (C.L.) & Notification

- C.L. No. 54/IX-f-69/Admn. “G” dated October 22,1992
- C.L. No. 9/IVH-40/Admn. “G” dated/Alld./29th January, 1998
- C.L. No. 190117/4/90-Jus. Dated 26.04.1990/3.5.1990
- Central Government’s G.O. No. VII-11017/15/88-G.P.A. II, dated 4.10.1988
- Central Government’s Letter No. 19017/3/92-Jus., Dated 3.4.1992/23.4.1992
- Central Government’s Letter No. VI-25013/42/89-G.P.A. II, Dt. 31.3.1992
- G.O. No. 45/Ivh-40 dated 19th October, 2020 : Direction for provide Sufficient security to the Judicial Officers.

Conclusion :

- न्यायाधीश स्वतंत्र बुद्धि से न्याय कर सके, इसके लिए उन्हें शासन से मुक्त करके उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रखा गया।
- जजो को लोक सेवक के रूप में सभी संरक्षण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त किसी भी न्यायाधीश के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय का अनुमति एवं आदेश आवश्यक है।
- किसी भी न्यायाधीश के विरूद्ध बिना सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बिना एफआईआर पंजीकृत नहीं की जा सकती है।
- अपवाद को छोडकर जजो को किसी मामलें में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। यथा माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अवमान तथा स्वंय के न्यायालय के अवमान हेतु अधीनस्थ/विचारण न्यायालय के न्यायाधीश को नाम से पक्षकार बनाा सकता है।

Thank you.....